

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 1541/मीरजापुर/ 15 दिनांक, मीरजापुर, अक्टूबर, 4 2020

सेवा में,

अधिकासी अभियंता,
वि० प्र० ख०, (II), वाराणसी,
220 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र तलबल
हाइडिल कालोनी, गाजीपुर पिनकोड-233001

विषय-

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा 400 के० वी० अनपरा-वाराणसी विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे० (विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे०) वन भूमि की 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में

सन्दर्भ-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर का पत्रांक-1200/मी० क्षेत्र०/33 दिनांक 24.09.2020।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा 400 के० वी० अनपरा-वाराणसी विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे० (विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे०) वन भूमि की 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रांक- 343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 में उल्लिखित प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र की निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रमाण पत्र की पाँच प्रतियों में हस्ताक्षर कर मूल प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक - प्रमाण पत्र का प्रारूप 05 प्रतियों में ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 1541 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार को संलग्न प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किये गये हस्ताक्षर के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार एवं सुकृत को इस निर्देश के साथ प्रेषित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर उपरान्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

01/10

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे० (विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे०) वन भूमि की 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में

प्रमाण पत्र

“ प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियत विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे”।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
(नाम मोहर एवं तिथि सहित)

अधिशाली अभियंता, वि०प्रे०ख०, (II),
वाराणसी, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र
तलबल , हाइडिल कालोनी, गाजीपुर

(शारदा प्रसाद ओझा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
चुनार रेंज

(राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सुकृत रेंज

(पंकज कुमार शुक्ला)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
(नाम मोहर एवं तिथि सहित)